

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

Website: www.rajsec.rajasthan.gov.in

Email: secrajasthan@gmail.com / secraj@rajasthan.gov.in

स्टेशनरी प्रदाय के लिये

निविदा प्रपत्र

निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	:	04.02.2019
समय	:	3.00 बजे
खोलने का दिनांक	:	04.02.2019
समय	:	4.00 बजे
निविदा प्रपत्र शुल्क	:	200/- रु.

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम एवं पूरा पता मय टेलिफोन/मोबाईल नं. :
2. निविदा सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को सम्बोधित की जानी चाहिये।
3. संदर्भ निविदा सूचना क्रमांक: एफ. 3(75)स्टोर/रानिआ/2019/.....दिनांक.....
4. हम विज्ञापन में जारी की गई निविदा सूचना में वर्णित सभी शर्तों से तथा इस प्रपत्र में दी गई सभी शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। इसके सभी पृष्ठों पर हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं।
5. निविदा शुल्क 200/- राशि रु. नकद/रसीद संख्या दि.
... के द्वारा जमा करवा दी गई है।
6. निविदा के साथ धरोहर राशि रुपये 5000/- जमा कराने होंगे।
7. निविदा के साथ स्टेशनरी की दरें मय विशेष विवरण (स्पेशिफिकेशन) के साथ संलग्न करना होगा।
8. फर्म द्वारा आदेश प्राप्त होने के 10 दिवस में माल की आपूर्ति कर दी जावेगी।
9. फर्म द्वारा आदेश प्राप्त होने के पश्चात् माल सप्लाय करने से पूर्व 500/- रुपये के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध करना होगा।
10. उक्त दरें आदेश के दिनांक से एक पूर्ण वर्ष के लिये विधि मान्य होगी। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढ़ाया भी जा सकेगा। इस अवधि में मात्रा की कमी/बढ़ोतरी आयोग द्वारा की जा सकेगी।
11. निविदा के साथ रुपये 5000/- (अक्षरे पांच हजार मात्र) का बैंकर्स चैक/ड्राफ्ट संख्या दिनांक बैंक बयाना राशि के पेटे संलग्न है।
12. निविदा के साथ फर्म का GST पंजीयन एवं GST प्रमाण पत्र एवं आयकर विभाग द्वारा जारी पेन नम्बर की प्रमाणित प्रति संलग्न कर दी गई है।
13. निविदा खोलने के समय फर्म के प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।
14. सफल निविदादाता को नियमानुसार अनुबंध के साथ अमानत राशि जमा करानी होगी।
15. स्टेशनरी के निर्माता/कम्पनी के थोक डिस्ट्रीब्यूटर का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

निविदा दाता के हस्ताक्षर मय सील

खुली निविदा के लिये निविदा एवं संविदा की शर्तें

(देखिये नियम 68)

टिप्पणी:— निविदादाताओं को इन शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी निविदाएँ भेजते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिये।

1. निविदाओं को निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मुहरबंद लिफाफे में बन्द करना चाहिये।
2. अधिकृत/वास्तविक डीलरों (Bonafide dealers) द्वारा निविदाएँ :- निविदाएँ मालों के वास्तविक डीलरों द्वारा ही दी जायेगी। अतः वे एस.आर. प्ररूप 3 में एक घोषणा प्रस्तुत करेंगे।
3. (i) फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में ठेकेदार द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जायेगा।
(ii) संविदा के संबंध में किसी भी नए भागीदार/भागीदारों को ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिये बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिये ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गई किसी भागीदार की रसीद उन सबको बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिये पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।
4. निविदा के साथ GST प्रमाण पत्र के साथ गत तिमाही तक का GST चुकता प्रमाण पत्र एवं आयकर विभाग द्वारा जारी पेन नम्बर की प्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक है।
5. GST पंजीयन एवं शोधन प्रमाण पत्र (Clearance certificate) कोई भी डीलर जहां उसका व्यवसाय स्थित है, यदि राज्य में प्रचलित GST अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है, तो वह निविदा नहीं देगा। GST पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिये।
6. निविदा प्ररूप स्याही से भरा जायेगा या टंकण/कम्प्यूटराईज होगा। पेंसिल से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
7. दरें शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जायेंगी। इसमें कोई त्रुटि (Errors) एवं/या उपरिलेखन नहीं होना चाहिये। यदि कोई शुद्धिया करनी हो, तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिये एवं दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर किये जाने चाहिये। दरों में राजस्थान बिक्री कर/वैट एवं केन्द्रीय बिक्री करों की राशि को सम्मिलित करते हुये (With Tax) दिखाना चाहिये।
8. दरें गन्तव्य स्थान तक एफ.ओ.आर. उद्धृत की जानी चाहिये तथा उसमें सभी अनुषंगिक (Incidental) प्रभारों को शामिल करना चाहिये। किन्तु चुंगीकर, केन्द्रीय/राजस्थान बिक्री कर को शामिल न करके इन्हें अलग से दिखाया जाना चाहिये। स्थानीय प्रदायों (सप्लाइज) के मामले में दरों में समस्त करों आदि को शामिल करना चाहिये तथा सरकार द्वारा कोई गाडी भाडा (कोटेज) या परिवहन प्रभारी का सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा तथा माल की सुपुर्दगी क्रेता अधिकारी के परिसरों पर दी जायेगी। खरीदे जाने वाले माल करों को शामिल किया जायेगा। पूर्व की दशा में विहित प्ररूप में एक प्रमाण पत्र सप्लाइ आदेश के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।

9. (i) दरों की तुलना:- राजस्थान के बाहर की फर्मों द्वारा तथा राजस्थान के भीतर की उन फर्मों द्वारा जो नियमों के अन्तर्गत मूल्य अधिमान के लिये अधिकृत नहीं हैं निविदत्त दरों की तुलना करने में, राजस्थान GST की राशि को शामिल नहीं किया गया जबकि केन्द्रीय GST को इसमें शामिल किया जायेगा।
(ii) राजस्थान के भीतर की फर्मों के संबंध में दरों की तुलना करते समय राजस्थान GST की राशि को शामिल किया जायेगा।
10. **मूल्य अधिमान :-** मूल्य अधिमानता/अधिमानता राजस्थान के उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों पर या राजस्थान के बाहर उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों की तुलना में भण्डार क्रय (राजस्थान के उद्योगों को अधिमानता) नियम, 1995 के अनुसार दी जायेगी।
11. **विधि मान्यता :-** निविदायें उनके खोले जाने के दिनांक से तीन माह की अवधि के लिये विधि मान्य होगी।
12. अनुमादित प्रदायकर्ता (सप्लायर) के लिये यह समझा जायेगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की दशा, स्पेसीफिकेशन, साईज, मेक एवं ड्राईंग्स आदि की सावधानीपूर्वक जांच कर ली है। यदि उसे इन शर्तों के किसी भाग, स्पेसीफिकेशन, ड्राईंग आदि के आशय के बारे में कोई सन्देह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसे क्रेता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
13. ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौपेगा या उप-भाडे (सबलेट) पर नहीं देगा।
14. जिन मदों के नमूने अनिवार्य हैं उन मदों में प्राप्त नमूनों की जांच क्रय समिति द्वारा की जायेगी तथा अनुपयुक्त नमूनों की दर पर विचार नहीं किया जायेगा।
15. **विशेष विवरण (स्पेसीफिकेशन) :-**
- (i) प्रदाय की गई सभी वस्तुएं निविदा में निर्धारित स्पेसीफिकेशन, ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होगी तथा जहां पर वस्तुओं की आई.एस.आई. स्पेसीफिकेशन के अनुसार अपेक्षा की गई हो, उन मदों को पूर्ण रूप से उन स्पेसीफिकेशन के अनुरूप होना चाहिए तथा उस पर वह मार्क होना चाहिये।
- (ii) तारा चिन्ह स अंकित/क्रम संख्या पर अंकित वस्तुओं का प्रदाय, अन्य बातों के साथ, अनुमादित नमूनों के ठीक अनुरूप होगा तथा अन्य पदार्थों के मामले में जहां कोई स्तरीकृत या अनुमादित नमूना न हो, अत्युत्तम गुणवत्ता एवं विवरण की वस्तु का प्रदाय की गई वस्तुएं स्पेसीफिकेशन के अनुरूप हैं, तथा क्या वे सैम्पुल, यदि कोई हो, के अनुसार हैं, किया गया निर्णय निविदादाताओं के लिये अन्तिम एवं मान्य होगा।
- (iii) वारंटी एवं गारंटी का खंड: निविदादाता यह गारन्टी देगा कि माल/स्टोर्स/वस्तुएं खरीदे जाने वाले उस माल/स्टोर्स/वस्तुओं की सुपुर्दगी के दिनांक से दिनांक/माहों की अवधि के लिये यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेगी तथा इस तथ्य के बावजूद कि क्रेता ने उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया हो एवं/या उन्हें अनुमादित कर दिया हो, यदि दिनांक/माहों की अवधि में, उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं की उपरोक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे समाप्त हो गये हैं (तथा उस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम व परिणामी) तो क्रेता उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं को या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाये जायेंगे रद्द करने के लिये अधिकृत होगा। ऐसे रद्द किये जाने पर माल/स्टोर्स/वस्तुएं विक्रेता की जोखिम पर होगी तथा माल आदि को रद्द करने

9/21-1

से संबंधित समस्त उपबंध लागू होंगे। निविदादाता, यदि उसे ऐसा करने के लिये कहा गया तो वह उस माल आदि को या उसके, उस भाग को जिसे क्रेता अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है, बदल देगा, अन्यथा निविदादाता ऐसी क्षति के लियेभुगतान करेगा जो इसमें दी गई शर्त के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होगी। इसमें दी गई कोई भी बात से इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस संबंध में क्रेता अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

(iv) मशीनों एवं उपकरणों के मामले में भी, उक्त खण्ड (iii) में उल्लिखित किये गये अनुसार गारंटी दी जायेगी तथा निविदादाता गारंटीकृत अवधि में पुर्जों को बदलेगा या किसी भी विनिर्माण की कमी को दूर करेगा। यदि उक्त अवधि में उन्हें वेसा पासा जायेगा ताकि मशीन एवं उपकरण ठीक काम कर सके। निविदादाता मशीनों एवं उपकरणों को भी बदलेगा यदि वे ऐसे दोषपूर्ण पाये जाये कि विनिर्माण की त्रुटि आदि के कारण उन्हें काम में नहीं लिया जा सकता हो।

(v) क्रेता अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट मशीन एवं उपकरण के मामले में निविदादाता ऐसी शर्तों पर जो उनके बीच स्वीकार की जायेगी, वार्षिक रख रखाव (मेन्टेनेन्स) एवं मरम्मत करने के लिये उत्तरदायी सीमा चाहे वे मशीने व उपकरण वार्षिक रख रखाव व मरम्मत की दर संविदा के अधीन हो या अन्यथा हो। मॉडल में परिवर्तन के मामले में वह क्रेता अधिकारी को पर्याप्त समय पूर्व सूचना देगा। क्रेता अधिकारी अपनी मशीनों एवं उपकरणों को पूर्ण रूप से कार्यवारी दशा में रखने के लिए उनसे स्पेयर पार्ट्स खरीदना पसंद कर सकेगा।

16. सप्लाय जब भी प्राप्त की जाएगी उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि वे स्पेसीफिकेशन्स या अनुमोदित नमूनों के अनुरूप हैं। जहां आवश्यक हो या विहित किया गया हो या व्यावहारिक हो, वहां परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं, प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों जैसे श्री राम टेस्टिंग हाउस ? नई दिल्ली एवं तत्समान परीक्षण गृहों कराया जाएगा तथा जहां पर सप्लाय किया गया, सामान इन परीक्षणों के परिणामस्वरूप निहित स्पेसीफिकेशन्स के स्तर के अनुरूप पाया जाएगा, उन्हें स्वीकार किया जाएगा।

17. परीक्षण प्रभार : परीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे। यदि निविदादाता अत्यावश्यक तत्काल परीक्षण कराना चाहता हो या यदि परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात होता हो कि सप्लाय किया गया सामान विहित स्तरों या स्पेसीफिकेशन्स के अनुसार नहीं है, तो परीक्षण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

18. रद्द करना (Rejection) :- (i) निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएं अनुमोदित नहीं की जाएगी उन्हें रद्द किया जाएगा तथा निविदादाता द्वारा उन्हें क्रेता अधिकारी द्वारा निश्चित किए गए समय के भीतर की लागत पर बदला जाएगा।

(ii) तथापि, यदि सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण, पूर्ण या आंशिक रूप में उन वस्तुओं को बदलना साध्य (feasable) नहीं समझा जाए, तो क्रेता अधिकारी निविदादाता को सुनवाई किए जाने का एक उचित अवसर देकर ऐसे कारणों से जा अभिलिखित किए जाएंगे, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौती करेगा। इस प्रकार की गयी कटौती अन्तिम होगी।

19. रद्द की गयी वस्तुओं को निविदादाता उन्हें रद्द करने की सूचना प्राप्त करने से 15 दिवस के भीतर हटा लेगा, इसके बाद क्रेता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि कमी या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा उसे निविदादाता की जोखिम एवं उसके लेखे पर उन वस्तुओं को जिन्हें वह उचित समझे, बेचने का अधिकार होगा।

20. निविदादाता उचित पैकिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल, सड़क या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई क्षति न हो तथा गन्तव्य पर माल प्राप्तकर्ता को माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सकें। किसी प्रकार की हानि, क्षति, टूटफूट या रिसाव (लीकेज) या किसी कमी के होने के मामले में, निविदादाता माल प्राप्तकर्ता द्वारा उन सामग्रीयों की जांच/निरीक्षण किए जाने पर गयी ऐसी हानि एवं कमी की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नहीं की जाएगी।
21. प्रदाय हेतु संविदा को यदि माल की सप्लाई क्रेता अधिकारी की सन्तुष्टि के अनुसार नहीं की जाती है, तो निविदादाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निराकृत (repudiate) कर सकता है। यह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।
22. निविदादाता का उसके प्रतिनिधि की ओर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक ही अनर्हता (disqualification) होगी।
23. (i) मात्रा की सीमा –आदेश को फिर से देना :- यदि निविदा सूचना में दर्शित मात्रा से अधिक के लिए आदेश दिया जाता है, तो निविदादाता अपेक्षित सप्लाई की पूर्ति करने के लिए बाध्य होगा। पुनः आदेश (Repeat Orders) भी निविदा में दी गयी शर्तों पर दिए जा सकेंगे, परन्तु शर्त यह कि ऐसे पुनरादेश मूल रूप से खरीदी गयी मात्रा की 50% तक की सप्लाई के लिए ही होंगे तथा ऐसे आदेश देने की अवधि अन्तिम माल प्रदाय करने के दिनांक से एक माह से अधिक बाद की नहीं होगी। यदि निविदादाता, ऐसी सप्लाई करने में असमर्थ रहता है तो क्रेता अधिकारी अवशेष सामान की सप्लाई की व्यवस्था सीमित निविदा द्वारा या अन्यथा प्रकार से करने के लिए स्वतन्त्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत व्यय की जायेगी उसकी निविदादाता से वसूली की जायेगी।
- (ii) यदि क्रेता अधिकारी किन्ही निविदत्त वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता है तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने के लिए अधिकृत नहीं होगा।
24. बयाना राशि (अरनेस्ट मनी) :-
- (क) निविदा के साथ 5000/- रुपये की बयाना राशि प्रस्तुत की जायेगी। इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। यह राशि **सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर** के पक्ष में निम्नलिखित में से किसी भी रूप जमा कराई जानी चाहिये।
- (i) नकद शीर्ष "8443-सिविल निक्षेप-103" प्रति के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान से जमा कराया जाना चाहिए।
- (ii) स्टड्यूल बैंक का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक।
- (ख) बयाना राशि का प्रतिदाय (irrefund of earnest money) असफल निविदाता की बयाना राशि निविदा को अन्तिम रूप से स्वीकार करने के बाद यथा समय शीघ्र लौटाई जायेगी।
- (ग) बयाना राशि से छूट : उन फर्मों को जो निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान के पास पंजीकृत है उन मदों के संबंध में जिनके लिए वे उक्त रूप में रजिस्टर्ड की गई है, उनके द्वारा मूल पंजीयन प्रमाण-पत्र या उसकी फोटो स्टेट प्रति किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत अप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर, राजस्थान के लघु उद्योगों के संबंध में वह प्रदाय के लिये प्रदत्त मात्रा का 0.5 प्रतिशत होगी

और लघु उद्योगों से भिन्न रुग्ण उद्योगों की दशा में जिनके मामले औद्योगिकी एवं वित्त पुर्ननिर्माण बोर्ड के समक्ष लम्बित है यह बोली के मूल्य का एक प्रतिशत की दर पर बयाना राशि जमा करनी होगी।

(घ) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों को कोई बयाना राशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

(ङ) अनुमोदन की प्रतिक्षा करने वाली या रद्द की गई या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/कार्यालय के पास जमा बयाना राशि/प्रतिभूति निक्षेप की नई निविदाओं के लिए बयाना राशि/प्रतिभूति धन के प्रति समायोजित नहीं किया जायेगा तथापि यदि निविदाओं को पुनः आमन्त्रित किया जाता है तो बयाना राशि को उपयोग में लिया जा सकता है।

25. बयाना राशि का समपहरण : बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहरण कर लिया जायेगा:-

- (i) जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें उपान्तरण (Modification) करता है।
- (ii) जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता हो।
- (iii) जब निविदादाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं करता हो।
- (iv) जब वह विहित समय के लिए सप्लाई आदेश के अनुसार मर्दों की सप्लाई करने में असफल रहता हो।

25. (1) करार एवं प्रतिभूति निक्षेप (Agreement and Security Deposit) :-

- (i) सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिन की अवधि के भीतर प्ररूप में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों (स्टोर्स) के लिए निविदाएं स्वीकार की गयी हैं, उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण की उस दिनांक से जिसको निविदा के स्वीकार किये जाने की सूचना उसे दी गई है, 15 दिन के भीतर जमा कराई जायेगी।
- (ii) निविदा के समय जमा करायी गयी बयाना राशि की प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जाएगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बयाना राशि से कम की नहीं होगी।
- (iii) प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- (iv) प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होंगे:-
 - (क) नकद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/चालान की रसीदों प्रति
 - (ख) डाकघर बचत बैंक पास बुक जिसे विधिवत् गिरवी (pledge) रखा जाएगा।
 - (ग) अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, डिफेंस सेविंग्स सर्टिफिकेट्स, किसान विकास पत्र या कोई अन्य स्क्रिप्ट/विलेख, यदि उन्हें गिरवी रखा जा सकता हो। इन प्रमाण पत्रों को उनके समर्पण मूल्य (सलेण्ड वेल्यू) पर स्वीकार किया जाएगा।
- (v) एक समय पर खरीद के मामले में क्रय आदेश के अनुसार मर्दों की अन्तिम सप्लाई से एक माह के भीतर तथा यदि सुपुर्दगी के सान्तर (staggered) किया जाता है तों दो माह के भीतर उसके लिए संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिए जाने के बाद या गारण्टी की अवधि, यदि हो, के समाप्त होने के बाद, जो भी बाद में हो तथा इससे

सन्तुष्ट हो जाने पर कि निविदादाता के विरुद्ध कोई देय बकाया (Outstanding Dues) नहीं है, तो प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जाएगा।

- (2)(i) निदेशक :- उद्योग विभाग, राजस्थान के पास रजिस्ट्रीकृत फर्मों को उन सामानों के संबंध में जिनके लिए वे रजिस्टर्ड हैं उनके द्वारा निदेशक, उद्योग से पंजीयन की विधिवत् अनुप्रमाणित एक प्रति प्रस्तुत किए जाने पर, बयाना राशि के भुगतान से आंशिक छूट दी जाएगी तथा वे निविदा के अनुमानित मूल्य के प्रतिशत की दर पर प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान करेगी।
- (ii) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होंगे।
- (3) प्रतिभूति निक्षेप को समपहरण :- प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहत किया जाएगा—
- (क) जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
- (ख) जब निविदादाता सम्पूर्ण सप्लाय सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
- (ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।
- (4) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपडत (Countor foil) निःशुल्क प्रस्तुत की जाएगी।
26. क्रय अधिकारी किसी भी निविदा को, चाहे वह न्यूनतम न हो, स्वीकृत करने या किसी निविदा को बिना कारण बतलाये अस्वीकृत करने का और किसी भी निविदा को समस्त या किसी या अधिक वस्तुओं, जिसके लिये निविदा दी गई है या भण्डार के मदों को एक फर्म/प्रदायक के अधिक को वितरित करने का, अधिकार सुरक्षित रखता है।
27. 1. (I) निविदा प्रपत्र में सुर्पुदगी के लिये विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जायेगा तथा सफल निविदादाता क्रेता अधिकारी से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर अवधि के भीतर प्रदाय करेगा।
- (II) परिसमापित नुकसानी — परिसमापित नुकसानी के साथ सुर्पुदगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिये की जायेगी जिनका निविदादाता प्रदाय करने में असफल रहा है।
- (क) विहित सुर्पुदगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिये — 2.5%
- (ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से — 5% अनाधिक के लिये
- (ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की तीन चौथाई से — 7.5% अनाधिक अवधि के लिये
- (घ) विहित अवधि की तीस चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिये — 10%
2. प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जायेगा।
3. परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।
4. यदि प्रदाय करता किन्ही बाधाओं के कारण संविदा अन्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिये समय में वृद्धि चाहता है तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिये निवेदन बाधा के गठित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

5. यदि माल का प्रदाय करने से उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुर्पुदगी अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।
 6. यदि फर्म समय पर आपूर्ति प्रारम्भ नहीं करे, प्रतिभूति जमा नहीं करावे तथा आपूर्ति समय पर नहीं की जाती है तो धरोहर राशि / प्रतिभूति राशि को जब्त किया जा सकेगा।
28. वसूलियां – परिसमापित नुकसानी, कम प्रदाय, टूट-फूट, रद्द की गई वस्तुओं के लिये वसूली साधारण रूप से बिल में से की जायेगी। प्रदायकर्ता कम प्रदाय, टूट-फूट, रद्द किये गये मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदायकर्ता संतोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिसमापित नुकसानी के साथ वसूली उसकी देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जायेगी। यदि वसूली करना संभव न हो तो राजस्थान P.D.R. Act या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
 29. समस्त विधिक कार्यवाहियां यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा राजस्थान में स्थित न्यायालय में जायेगी एवं अन्यत्र नहीं की जायेगी।
 30. निविदा प्रपत्र के साथ आनलाईन भुगतान हेतु केन्सील चैक की प्रति एवं बैंक का नाम तथा बैंक का आई एफ एस सी कोड का प्रमाण संलग्न करना होगा।
 31. सा.वि. एवं लेखा नियम एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अन्तर्गत अन्य सभी शर्तें लागू होंगी।

हस्ताक्षर निविदादाता मय सील

**निविदादाता का नाम व डाक का पता
मय टेलिफोन/मोबाईल नम्बर**

हस्ताक्षर निविदादाता मय सील

निविदादाता द्वारा घोषणा पत्र

मैं/हम घोषणा करता/करते हूँ कि मैंने/हमने जिन मदों/स्टोर्स/उपकरणों के लिये निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम/बोनाफाईड/विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/सोल सेलिंग/विपणन एजेंट/सेवा प्रदाता हूँ/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाये तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से सम्पन्न कर लिया जावे तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जावे।

हस्ताक्षर निविदादाता मय सील

निविदादाता का नाम व डाक का पता
मय टेलिफोन/मोबाईल नम्बर

हस्ताक्षर निविदादाता मय सील

५२११

Form

(See Rule 72)

TAX CLEARANCE CERTIFICATE

This is to certify that

- (a) Has no tax liability outstanding or has outstanding tax liability amounting to Rs. NIL which has been stayed by
x..... upto x..... or is payable through
..... x..... instalments by
.....x..... (date). And
- (b) Has paid current tax upto the month of This certificate
is valid upto

Dated:

72-1

राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय हेतु वर्ष 2019-20 के लिये
क्रय की जाने वाली स्टेशनरी व अन्य सामग्री का विवरण

क्र.सं.	विवरण	मार्का	अनिवार्य नमूना	Unit Cost Tax Paid
1.	स्टेपलर पिन पैकेट Small 10 Nos	Kores	नहीं	
2.	स्टेपलर पिन पैकेट 24/6	Kores	नहीं	
3.	प्लास्टिक फोल्डर	L Type with Pocket	नहीं	
4.	ऑलपिन कुशन		हाँ	
5.	फेवी ग्लू स्टीक	Fevi	नहीं	
6.	स्टेपलर छोटे 10 Nos	Kangaroo	नहीं	
7.	स्टेपलर बड़ा 24/6	Kangaroo	नहीं	
8.	फोटो स्टेट पेपर A-4, 75 GSM white	J.K. Copier Red	नहीं	
9.	फोटो स्टेट पेपर FS, 75 GSM white	J.K. Copier Red	नहीं	
10.	फोटो स्टेट पेपर A-4, 80 GSM Light Blue	Matrix	नहीं	
11.	फोटो स्टेट पेपर FS, 75 GSM Light Blue		नहीं	
12.	वाईट प्लूड	Kores	नहीं	
13.	गोंद की शीशी 150 ml.	Camle	नहीं	
14.	गोंद की शीशी 700 ml.	Camle	नहीं	
15.	ऑलपिन पैकेट	BCR	नहीं	
16.	फाईल लैस Superior Quality		नहीं	
17.	फाईल टैग Superior Quality		नहीं	
18.	फाईल पैड Superior Quality		नहीं	
19.	स्टॉम्प पैड	Ashoka	नहीं	
20.	रजिस्टर सादा 1 qr.		हाँ	
21.	रजिस्टर सादा 2 qr.		हाँ	
22.	रजिस्टर सादा 3 qr.		हाँ	
23.	रजिस्टर सादा 4 qr.		हाँ	
25.	रजिस्टर सादा 5 qr.		हाँ	
26.	रजिस्टर सादा 6 qr.		हाँ	
27.	पैन साधारण	Cello	नहीं	
28.	पैन Gel	Reynolds Jetter GEL	नहीं	
29.	पैन Pilot	HiTech Point V7	नहीं	
30.	रूल पेन्सील HB	Natraj	नहीं	
31.	रीफील साधारण छोटी Gen.Small		नहीं	
32.	रीफील साधारण बड़ी Gen. Big		नहीं	
33.	रीफील जैल GEL	Reynolds Jetter GEL	नहीं	
34.	स्लीप पैड No. 23 Small		हाँ	
35.	स्लीप पैड No. 33 Big		हाँ	
36.	स्लीप पैड मीटिंग		हाँ	
37.	शॉर्ट हैंड नोट बूक		हाँ	
38.	कम्प्यूटर सी.डी. पैकेट CDR	Sony single packing	नहीं	
39.	कम्प्यूटर सी.डी. पैकेट CD-RW	Sony single packing	नहीं	
40.	कम्प्यूटर डी.वी.डी. DVD-R	Sony single	नहीं	

7211

	पैकेट		packing		
41.	कम्प्यूटर डी.वी.डी. पैकेट	DVD-RW	Sony single packing	नहीं	
42.	Pen Drive	8 GB 16 GB 32 GB	Kingston Kingston Kingston	नहीं नहीं नहीं	
43.	HP लेजर प्रिन्टर टोनर कार्ट्रिज	Hp Laser MFP 1216	HP	नहीं	
44.	लेजर प्रिन्टर टोनर कार्ट्रिज	RICOH Printer 310DN	RICOH High Copy ERP Code 407243	नहीं	
45.	लेजर प्रिन्टर टोनर कार्ट्रिज	Hp Laser Printer MFP 1005		नहीं	
46.	External Hard Disk	500 GB 1 TB 2 TB	Segate Segate Segate	नहीं	
47.	कम्प्यूटर माऊस		Logitech	नहीं	
48.	Key Board		TVS Gold Bharat	नहीं	
49.	पेपर वेट कांच वाले			हाँ	
50.	लिफाफे लेमिनेशन	16x12		हाँ	
51.	लिफाफे कपड़ा	16x12		हाँ	
52.	लिफाफे सफेद	11x5		हाँ	
53.	लिफाफे सफेद	9x4		हाँ	
54.	लिफाफा खाकी फाईल साईज			हाँ	
55.	लिफाफा A4, Size			हाँ	
56.	विम पाउडर		Nirma	नहीं	
57.	साबून	150 gm	Lux	नहीं	
58.	साबून	150 gm	Lifeboy	नहीं	
59.	फिनाईल	5 Ltr.	Kamal Brand	नहीं	
60.	ऐसिड 1 लिटर	Bottle		नहीं	
61.	सेल (बैटरी)	Pencil	Novino Gold	नहीं	
62.	वस्ते			हाँ	
63.	रूम स्प्रे			नहीं	
64.	हिट स्प्रे			नहीं	
65.	डस्टर			हाँ	
66.	फैक्स रीबिन	KX 701	Panasonic	नहीं	

हस्ताक्षर निविदादाता मय सील